पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

पीएफआरडीए द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई 2016 तक

एपीवाई पेंशन सामंजस्यता सप्ताह का आयोजन

एपीवाई योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09 मई 2015 को किया गया और 1 जून 2015 से इसका परिचालन आंरभ हुआ। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसके द्वारा योजना में किये गये अंशदान, जो कि योजना में शामिल होने की उसकी आयु के आधार पर भिन्न –भिन्न होगा, के आधार पर रूपये 1000/, रूपये 2000/, रूपये 3000/, रूपये 4000/और रूपये 5000/ प्रतिमाह की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे।

30 लाख से अधिक अभिदाता अब तक योजना में अपना नामाकंन करवा चुके हैं। योजना के प्रचार–प्रसार के लिए पीएफआरडीए द्वारा लगातार विभिन्न गतिविधियों चलाई जा रही है। देश भर में नियमित अंतराल पर विज्ञापन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून 2016 तक 1 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों और डाकघर अधिकारियों को एपीवाई प्रशिक्षण दिया गया है और पीएफआरडीए द्वारा यह प्रक्रिया निरंतर चलाई जा रही है।

इसी श्रृंखला में, योजना को और अधिक गति प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा जुलाई के आखिरी सप्ताह में **एपीवाई पेंशन समांजस्यता सप्ताह** का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान 25 से 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सभी बैंकों/विभागों को प्रतिशाखा 3 से 5 खाते खोलने के लिए कहा गया है। पीएफआरडीए को इस आयोजन के माध्यम से काफी संख्या में लोगों के इस योजना में शामिल होने की उम्मीद है।

हाल ही में योजना में कुछ नयी विशेषताओं को शामिल किया गया है :

i) योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मासिक भुगतान के अलावा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक भुगतान जैसे भुगतान के लचीले विकल्पों को शामिल किया गया है।

ii) 60 वर्ष से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता की पति/पत्नी के पास अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होगा, जिसे मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष होने तक बाकि बची शेष अवधि के लिए पति/पत्नी के नाम से चलाया जा सकता है। अभिदाता का पति/पत्नी आजीवन अभिदाता को मिलने वाली समान पेंशन राशि को पाने का हकदार होगा।

iii) अभिदाता द्वारा स्व अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (जैसा एनपीएस के अंतर्गत लागू हो) के अंतर्गत कर लाभ